


राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
कमाँक स03-6(1)स्था/मंत्रा/अभि/2016/ 16951- 17011 दिनाँक 15/12/17

आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 3-33 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिपिक ग्रेड-द्वितीय को लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण दिनाँक 31.3.2016 के पुनरावलोकन करने हेतु दिनाँक 14.12.2017 को आयोजित रिव्यु विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह लिपिक ग्रेड-द्वितीय को लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर वर्ष 2015-16 में दिनाँक 25.6.2015 को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के वेतन बैंड(1) 5200-20200 तथा ग्रेड पे न.(10) 2800/-में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्रीमती मंजूबाला से नीचे एवं श्री विकास कुमार ओझा से उपर रहेगी। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनाँक से देय होंगे। श्री सुनील कुमार का पदस्थापन कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन-श्रीगंगानगर में वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है।


(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
4. प्रशासनिक अधिकारी / अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन निदेशालय जयपुर।
5. निजी पत्रावली / समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय ।
6. रक्षित पत्रावली ।

716 / 15/12/17
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर